महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
ज्ञान शांति मैत्री
दूरभाष / Phone : +91-7152-230902

प्रो. आनन्द पाटील
Prof. Anand Patil
कुलसचिव (कार्यवाहक)
Registrar (Acting)

क्रमांक : 34/2022-23/अस्पताल/01/ 190
दिनांक : 04 .07.2025

सूचना

विश्वविद्यालय परिसर में डायरिया, गैस्ट्राइटिस और डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों के मामले सामने आये हैं। इन बीमारियों से बचाव के लिए निम्नलिखित सावधानियाँ और उपाय अपनाएँ जा सकते हैं।

- अशुद्ध पानी पीने से बचें। केवल उबला हुआ या शुद्ध पानी पिएँ।
- ऐसे खाद्य पदार्थों से बचें, जो दूषित पानी से धुले हों। अन्न सुरक्षा का ध्यान दें।
- घर के नल और जल संचयों की नियमित सफाई करें।
- स्वच्छता का ध्यान रखें और अपने हाथों को नियमित रूप से धोएँ।
- अपने घरों के आसपास पानी के जमाव को रोकने के उपाय करें।
- अपने घर/आवास/कार्यालय/भवन/मेस के आसपास की सफाई सुनिश्चित करें और कूड़े का सुव्यवस्थित प्रबंधन करें।
- मसालेदार, तैलीय और खट्टे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें।
- बाँसी भोजन से बचें। हल्का, सुपाच्य तथा तरल भोजन व फल इत्यादि का सेवन करें।
- गैस्ट्राइटिस को बढ़ावा देने वाले दूध और डेयरी उत्पादों का सेवन सीमित करें।
- यदि डायरिया, गैस्ट्राइटिस और डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों के लक्षण दिखें, तो तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें।

(प्रो. आनन्द पाटील)

प्रतिलिपि :

1. कुलपति सचिवालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. वित्ताधिकारी कार्यालय
4. अध्यक्ष, मेस प्रबंधन समिति (आवश्यक कार्यवाही हेतु)
5. मुख्य छात्रावास अधीक्षक (आवश्यक कार्यवाही हेतु)
6. सहायक कुलसचिव, भंडार एवं क्रय (विश्वविद्यालय परिसर में लगे समस्त वाटर कूलर के पीने के पानी की समय-समय पर जाँच कराएँ, वाटर फिल्टर का कैंडल आदि समय-समय पर जाँच कर बदलवाएँ)
7. प्रभारी, लीला (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
8. रक्षित पत्रावली